रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 1986/चैत्र 18, 1908
No. 177] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 1986/CHAITRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

सं. 238/86-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 609 (अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1985 के नियम 3 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के अपर सचिव को उक्त नियमों के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 493/14/86-सीमा-शुल्क 6]
आर. एस. सिधू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1986

No. 238/86-CUSTOMS

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 3 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1985, the Central Government hereby appoints the Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Commerce), as the designated authority for the purposes of the said rules.

[F. No. 493/14/86-Cus. VI]
R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986